न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 47/2021 जिला भीलवाड़ा

1. अजीज मोहम्मद पिता अब्दुल रहमान जी भिश्ती मुसलमान निवासी जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा,
2. शहजाद मोहम्मद पिता अब्दुल रहमान जी भिश्ती मुसलमान निवासी जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा,
3. आजाद मोहम्मद पिता अब्दुल रहमान जी भिश्ती मुसलमान निवासी जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा
4. श्रीमती नन्हीं बेगम पत्नी अब्दुल रहमान जी भिश्ती मुसलमान निवासी जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा

–अपीलांटस

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर, तहसील–जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर भीलवाड़ा दिनांक 12/16–05–1998 क्र0एफ–12–03(अ)(2)आरए /98/आर–705 जिसके द्वारा ग्राम जहाजपुर की बिलानाम आराजी सं 6066/1 व अन्य आराजियात किता 8 रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री राकेश आरोड़ा,श्री अजीज मोहम्मद (अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय

दिनांकः–14.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जहाजपुर खसरा नम्बर 6066/1 में अपीलांट के पिता अब्दुल रहमान को भूमि आवंटन कमिटी द्वारा दिनांक 22.09.1972 को 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। मगर उक्त आवंटन आदेश का अमल दरामद वर्ष 1972 से 1998 राजस्व रिकोर्ड में नहीं होने से भूमि अब्दुल रहमान के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज नहीं हो सकी तथा जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 16.05.1998 को कई अन्य खसरा नम्बर के साथ उक्त भूमि को भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेटअपार्ट कर दिया गया। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। प्रार्थी ने भूमि पर कुआं खोद रखा है। मौके पर पत्थरों का कोट लगा रखा है। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 08.09.2009 में उक्त कथन किये है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 07.06.2010 को विवादित भूमि बाबत यह जानकारी चाही गई, कि आवंटन के वक्त क्या उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पारक्षित [illegible] थी। यदि आवंटन के समय उक्त भूमि सेटअपार्ट थी तो प्रार्थी को आवंटन किस प्रकार की गई। दिनांक 18.01.2011 को उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर ने यह रिपोर्ट दी की आराजी नम्बर 6066/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्ष 1972 में आवंटन होने से उक्त आवंटनशुदा भूमि को मौके पर सुपुर्दगी के पश्चात मूल आवंटन पत्रावली से आदेश जारी होकर राजस्व रिकोर्ड में अमल करने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से तहसीलदार जहाजपुर को वर्ष 1972 से 1998 तक अमल हेतु प्राप्त नहीं होने से रिकोर्ड में दर्ज नहीं की जा सकती है।

दिनांक 18.07.2011 को आवंटी अब्दुल रहमान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि तथा तहसीलदार जहाजपुर प्रस्तुत मूल रिकोर्ड दिनांक 03.03.2011 एवं 04.07.2011 आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को भेजी गई। एस0डी0ओ द्वारा उक्त पत्रादि तहसीलदार जहाजपुर को भेजी गई। उन्होने एस0डी0ओ को पत्र लिखा कि वे स्वयं सक्षम अधिकारी है। दिनांक 13.08.2011 को पटवारी जहाजपुर ने भूमि के आवंटन,कब्जे और इस पर किये गये विकास की जानकारी रिपोर्ट तहसीलदार जहाजपुर को भेजी गई। दिनांक 12.08.2014 को आवंटी ने 5 बीघा भूमि उसके नाम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करने बाबत प्रार्थना पत्र एस0डी0ओ जहाजपुर को दिया। तहसीलदार जहाजपुर द्वारा इस बाबत पालना रिपोर्ट दिनांक 03.09.2014 को एस0डी0ओ जहाजपुर को भेजी। दिनांक 13.04.2017 को मूल आवंटी अब्दुल रहमान की मृत्यु हो चुकी है। अप्रैल 2021 में हमें यह सलाह दी गई कि जब तक जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.05.1998 अपास्त नहीं होगा तब तक भूमि उनके नाम नहीं की जा सकेगी। दिनांक 05.04.2021 को नकल हेतु आवेदन किया, दिनांक 24.06.2021 को नकल प्राप्त हुई। नकल आदेश प्राप्त होने के अंदर 2 माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की है, देरी को क्षमा किया जायें तथा आवंटित भूमि को हमारे नाम दर्ज किया जायें। सेट अपार्ट को अपास्त किया जायें।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार हमें अप्रैल 2021 में यह सलाह दी गई थी कि जब तक जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त भूमि को सेट अपार्ट करने का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं होगा तब तक हम आपको आवंटित भूमि आवंटित नहीं कर सकते। इस पर हमने जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 16.051998 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.04.2021 जिला अभिलेखागार भीलवाड़ा में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिस पर नकल दिनांक 24.06.2021 को जारी किया। खाता नकल मिलने से दो माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 16.05.1998 दिनांक 24.06.2021 की अवधि को कण्डोन किया जायें और अपील को अंदर मियाद माना जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा सेट अपार्ट आदेश द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 16.05.1998 प्रस्तुत किया है साथ ही भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 08.09.2009, जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 07.06.2010 , एस0डी0ओ जहाजपुर द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित पत्र दिनांक 18.01.2011, जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 18.02.2011, आईएलआर व पटवारी हल्का जहाजपुर द्वारा तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2013,28.09.2013 अब्दुल रहमान द्वारा एस0डी0ओ जहाजपुर के यहां प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2014, मौका रिपोर्ट पटवारी जांच दिनांक 13.08.2014, तहसीलदार जहाजपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 03.09.2014, अब्दुल रहमान का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.08.2014, दखलनामा की प्रति, नक्शाट्रेस की फोटोप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किया गया। रिकोर्ड तलब किया जाकर [illegible] किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि अलॉटमेंट हमारे पक्ष में हुआ था। मगर अमल दरामद नहीं हो पाया, कब्जा हमारा है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि वर्तमान में सेट अपार्ट की है। राजस्व अधिकारीयों द्वारा गलती की गई है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट

दिनांक 08.099.2009 हमारे पक्ष में है। राजकीय अभि0 ने अपील में बताया कि अपील बहुत देरी से 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। जिला कलक्टर द्वारा सेट अपार्ट का आदेश जारी किया गया। अपीलांट के खिलाफ धारा 91 में कार्यवाही की गई थी। अपील मीमौ में धारा 5 में गलत तथ्य अपीलांट द्वारा बताये गये है। अपीलांट को यदि अनुतोष चाहिए तो वह ट्राइल कोर्ट में जायें उचित दावा कर अनुतोष प्राप्त करे।

सर्वप्रथम धारा 5 अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। जानकारी दिनांक , नकल प्राप्ति के तुरंत बाद दो माह के भीतर अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। न्यायालय हाजा में दिनांक 04.08.2021 को उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई है। सेट अपार्ट के आदेश के समय अपीलांट को सुना नहीं गया। ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा मुख्य अनुतोष जो चाहा गया है वह भूमि को सेटअपार्ट से मुक्ति तथा अब्दुल रहमान के वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पत्र दिनांक 30.04.1998 क्रमांक 263 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा उक्त पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा को लिखा गया। उक्त पत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आगामी 50 वर्षों की परिस्थितियों की मध्य नजर रखते हुए यह प्रस्ताव तहसीलदार से प्राप्त कर अन्य खसरा नम्बर के साथ विवादित खसरा नम्बर 6066/1 को शामिल करते हुए भेजा गया था। भूमि की किस्म बंजर बताई गई थी। उक्त अपील 63/98 नम्ब्र से दर्ज हुई थी। उक्त खसरा नम्बर आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित किये गये थे तथा विवादित खसरा नम्बर के उत्तर दिशा में उनकी आबादी तथा मुख्य मार्ग बताया गया था तथा मौतविरो की राय में कोई विवाद नही होना बताया गया है। संवत 2052–55 में उक्त भूमि 6066/1 रकबा 120 बीघा 11 बिस्वा भूमि में पहाड़ 120 बीघा 14 बिस्वा तथा रास्ता 10 बिस्वा था अर्थात खसरा नम्बर 6066/1 की किस्म पहाड़ी थी। गिरदावरी संवत 2052–55 में भी उक्त भूमि को बिलानाम गैर काबिलकाश्त के रूप में दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 16.05.1998 को सेटअपार्ट आदेश पारित किया गया। राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 6066/1 की किश्म पहाड़ी है। इसमें कुछ बिस्वा भूमि को छोड़कर जो कि रास्ते के रूप में शेष भूमि पहाड़ी के रूप में है। खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि गैर काबिलकाश्त के रूप में है अर्थात ऐसी भूमि जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह माना जा सकता है कि आवंटी को भूमि आवंटन किया गया था। मगर संभवतया जानकारी प्राप्त होने के बाद आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया। ना ही उक्त भूमि के आवंटन आदेश का अमल दरामद किया गया। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में कोई आवटंन आदेश पत्रावली के साथ नहीं दिया गया है। इस समय जहाजपुर नगरपालिका युक्त कस्बा है और उक्त भूमि नगरपालिका सीमा में है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ सरकारी भवनों हेतु भूमि को उचित प्रस्ताव प्राप्त कर अपीलाधीन सेटअपार्ट आदेश जारी किया गया है जो उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट चाहे तो अपने अनुतोष हेतु सक्षम अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोई कर सकता है। चूंकि वर्तमान में अपीलांट गैर खातेदार के रूप में भी दर्ज नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांअ सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.1998 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:29 IST
Reason: SelfAttested